

न्यायालय-अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा,
जिला-जबलपुर (म0प्र0)

Sum/655/2026

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना-सिहोरा
जिला-जबलपुर(म0प्र0)

अभियोजन

विरुद्ध

सियाबाई चक्रवर्ती पति रमेश कुमार चक्रवर्ती उम्र 50 साल,
निवासी-ग्राम लालपुर जुडावल थाना सिहोरा,
जिला-जबलपुर (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(दिनांक- 18/08/2026 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
2. अभियुक्त को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में 500/- पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है।
3. अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
4. प्रकरण मे जप्तशुदा 05 लीटर कच्ची अवैध महुआ शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

(अजय उइके)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिहोरा, जिला-जबलपुर (म0प्र0)